उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल)
Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam (UPNL)

Station Sub Area Canteen Complex, Garhi Cantt, Dehradun - 248 003 Telefax : 0135-2754041
स्टेशन सब एरिया कैन्टीन कॉम्पलेक्स, गढ़ी कैन्ट, देहरादून–248003 टैलीफैक्स: 0135-2754041
E-mail : upnl.ua@rediffmail.com

पत्र सख्याः 3002/लेखा/उपनल 11 दिसम्बर 2020

सेवा में,
(समस्त विभाग)
उत्तराखण्ड

विषयः– उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को ससमय मानदेय एवं अन्य समाजिक सुरक्षा अंशदान भुगतान करने के सम्बन्ध में।

1. अवगत कराया जाता है कि उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में संविदा पर प्रायोजित कार्मिकों को विभाग (मुख्य नियोक्ता) द्वारा नियुक्त कार्मिक को प्राथमिकता के आधार पर ससमय मानदेय एवं सामाजिक सुरक्षा जैसे कर्मचारी भविष्यनिधि योजना एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजना का लाभ प्रदान करना मुख्य नियोक्ता (विभाग) का दायित्व है।

2. उपरोक्त के मध्यनजर समय–समय पर शासन द्वारा शासनादेश भी जारी किया जाता रहा है लेकिन इसके बावजूद भी कई विभाग ससमय कार्मिकों की उपस्थिति पंजिका एवं बीजकों का भुगतान नही करते है जिस कारण श्रम कानून, कर्मचारी भविष्यनिधि योजना एवं राज्य बीमा कर्मचारी संगठन के अधिनियमों का उल्लंघन होता है जिसके फलस्वरूप अधिनियमों के उल्लंघन पर विलम्ब शुल्क के साथ अर्थ दण्ड भी भुगतान करने के आदेश जारी किये जाते हैं जिनके भुगतान करने की जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता (विभागों) की ही है। उपनल उत्तराखण्ड सरकार का एक सेवाप्रदाता संस्था है जो कि विभागों (मुख्य नियोक्ताओं) की मांग के अनुसार संविदा कार्मिकों को प्रायोजित करता है जिसके फलस्वरूप उपनल को सर्विस चार्ज के रूप में मात्र 2.5 प्रतिशत की राशि प्राप्त होती है। जो कि सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है। और इस राशि से उक्त प्रकार के अर्थदण्ड का भुगतान करना सम्भव नही है।

3. अधिनियमों के तहत कर्मचारी भविष्य निधि योजना एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजना का अंशदान प्रत्येक माह के 15 तारीख तक जमा करने की बाध्यता है इसके अतिरिक्त 15 तारीख के बाद अंशदान विलम्ब से जमा करने पर विलम्ब शुल्क एवं ब्याज दर का अर्थ दण्ड निम्नानुसार भुगतान करने का प्रावधान है :–

क्र0स0	विलम्ब से जमा करने की तिथि	विलम्ब शुल्क	ब्याज की दर	अधिकार (Authority)
(क)	2 माह से कम	5 प्रतिशत	12 प्रतिशत	ई0एस0आई0 एक्ट– 1948 एवं ई0पी0एफ0 एक्ट– 1952
(ख)	2 व उससे अधिक 04 माह से कम	10 प्रतिशत	12 प्रतिशत	
(ग)	4 व उससे अधिक 6 माह से कम	15 प्रतिशत	12 प्रतिशत	
(घ)	6 माह व उससे अधिक	25 प्रतिशत	12 प्रतिशत	

4. यदि किसी भी विभाग द्वारा कार्मिकों की उपस्थिति पंजिका/बीजकों के भुगतान निधारित समय के बाद हुई तो उपरोक्तानुसार अर्थदण्ड विभाग से वसूल किया जायेगा।

Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam Ltd. * Dehradun *

5. समस्त विभागों (मुख्य नियोक्ताओं) से अनुरोध है कि उपरोक्त उल्लेखित श्रम, कर्मचारी भविष्य निधि योजना एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजनाओं के अधिनियमों का उल्लंघन न किया जाये ताकि मुख्य नियोक्ता (विभाग) एवं सेवा प्रदाता संस्था (उपनल) अनावश्यक रूप से कानूनी प्रकरण के अधीन न आये।

6. अनुरोध किया जाता है कि किसी भी विभाग में कार्यरत **उपनल संविदा कार्मिकों की मासिक उपस्थिति पंजिका प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपनल मुख्यालय में प्रस्तुत करें** ताकि इन संविदा कार्मिकों के ससमय बीजक बनाये जांये और (मुख्य नियोक्ताओं) विभागों द्वारा ससमय बीजको का भुगतान कर कर्मियों को यथासमय मासिक मानदेय भुगतान किया जा सके इससे समस्त सांवधानिक(Statutory) अंशदान भी यथासमय जमा कराया जा सकेगा।

7. अतः आपसे आग्रह है कि कार्मिको के वेतन बीजकों का भुगतान शीघ्रताशीध्र उपनल को करने का कष्ट करें एवं विवरण निम्न प्रारूप में उपनल की ई–मेंल आई डी–accounts@upnl.net पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्र0स0	बीजक संख्या	टी0डी0एस0 कटौती	जी0एस0टी0 कटौती	उपनल को शुद्ध भुगतान	उपनल को भुगतान की तारीख	ट्रान्जैक्शैक्शन आई.डी.नम्बर	बैंक ट्रांजैक्शन (UTR NO.)
1.							

8. समस्त विभागों (मुख्य नियोक्ता) से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान में जारी कोविड–19 से बचाव के दृष्टिगत ज्यादा से ज्यादा ऑन लाईन सिस्टम को प्राथमिकता दी जाय। उपनल की ई मेल आई डी एवं पूछताछ नम्बर निम्नलिखित है :–

(क) क्षेत्रीय परियोजना कार्यालय rpo@upnl.co.in
पूछताछ नम्बर 0135–2750178

(ख) बीजक अनुभाग billing@upnl.net
पूछताछ नम्बर 0135–2750913

(ग) वेतन अनुभाग accounts@upnl.net
पूछताछ नम्बर 0135–2750913

(घ) एकाउन्ट अनुभाग accounts@upnl.net
पूछताछ नम्बर 0135–2752178

(ड) ई0पी0एफ0 अनुभाग epf@upnl.net
पूछताछ नम्बर 0135–2750140

(च) ई0एस0आई0 अनुभाग esi@upnl.net
पूछताछ नम्बर 0135–2752178

(छ) आई0टी0आई0 अनुभाग itsection@upnl.net
पूछताछ नम्बर 0135–2752178

(ज) सूचना info@upnl.co.in
पूछताछ नम्बर 0135–2752178

(झ) अनुबन्ध अनुभाग agreement@upnl.co.in
पूछताछ नम्बर 0315–2752178

Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam Ltd. * Dehradun *

भवदीय,

सुनील

कैप्टन (भा0नौ0) एस0के0 शर्मा (अ0प्रा0)
उप–महाप्रबन्धक (वित्त)

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल)
Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam (UPNL)

Station Sub Area Canteen Complex, Garhi Cantt, Dehradun - 248 003 Telefax : 0135-2754041
स्टेशन सब एरिया कैन्टीन कॉम्पलेक्स, गढ़ी कैन्ट, देहरादून–248003 टैलीफैक्सः 0135-2754041
E-mail : upnl.ua@rediffmail.com

पत्रांक – उपनल / लेखा / 2020 18 दिसम्बर 2020

सेवा में,

समस्त विभाग,

उत्तराखण्ड ।

विषय– उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत सविंदा कार्मिकों के पूर्व से माह नवम्बर 2020 तक , भुगतान न किए गये बीजकों का यथाशीघ्र भुगतान करने के बावत ।

महोदय,

1. कृपया संज्ञान में लाना है कि आपके विभाग में उपनल द्वारा विभिन्न श्रेणियों के कार्मिक संविदा पर कार्यरत है और आपके विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई इन कार्मिकों की माहवार उपस्थिति पंजिका के आधार पर बीजक आपके विभाग को यथाशीघ्र भुगतान के लिए प्रेषित किए जाते रहे हैं। लेकिन वर्तमान तक इन बीजकों का भुगतान प्राप्त नही हुआ है जिस कारण संस्था के संचालन में आर्थिक कठिनाइयां आ रही है तथा कार्मिकों का मानदेय ससमय भुगतान नही हो पा रहा है जिस कारण अनेक प्रकार की आपत्तियां /विसंगतिया उत्पन हो रही है।

2. आपके विभाग से कई बार दूरभाष एवं पत्राचार के माध्यम से भी बीजकों का यथाशीघ्र भुगतान करने का अनुरोध किया जा चुका है लेकिन विभागों द्वारा बीजकों का भुगतान अभी तक नही किया गया है।

3. कृपया आपका ध्यान उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः XVII-05/16-09(17)2014-TC-2 दिनांक 31 अक्टूबर 2018 तथा इस कार्यालय के पत्रांक 3002/लेखा/उपनल दिनांक 11 दिसम्बर 2020 (पत्रों की छायाप्रतियां संलग्न) की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उपनल के माध्यम से आपके विभाग में प्रायोजित कार्मिकों का मानदेय व अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान करना मुख्य नियोक्ता (विभाग) का दायित्व है। उक्त शासनादेशानुसार उपनल कार्मिकों की उपस्थिति हर माह 03 तारीख तक पहुंच जानी चाहिये ताकि समय पर बीजक बनाये जा सके तथा कार्मिकों का भविष्य निधि अंशदान और ई0एस0आई0 (**EPF&ESI**) हर माह की 15 तारीख तक जमा किया जा सके। यदि इन अंशदानों को जमा करने में विलम्ब किया जाता है तो ई0पी0एफ0 और ई0एस0आई0 द्वारा भारी विलम्ब शुल्क और ब्याज सहित आर्थिक दण्ड लगाया जाता है जिसका भुगतान मुख्य नियोक्ता (विभाग) द्वारा किया जायेगा।

4. अतः विषयक प्रकरण पर आपका ध्यान आकृषित करते हुये अनुरोध किया जाता है कि संलग्न बीजकों का यथाशीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने की कार्यवाही की जाय ताकि लेखा–परीक्षा में उत्पन होने वाली आपत्तियों से भी बचा जा सके ।

आपके सहयोग के हम आभारी रहेगें।

भवदीय

कैप्टन(भा0नौ0से0)एस0के0शर्मा(अ0प्रा0)
उप–महाप्रबन्धक (वित्त)